

प्रेषक,

मिशन निदेशक,  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ०प्र०,  
विशाल कॉम्प्लैक्स,  
19-ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,  
जनपद-सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बहराईच, बलरामपुर, श्रावस्ती गोण्डा एवं सिद्धार्थ नगर।

पत्र संख्या-एस०पी०एम०यू०/CH/Q+ & 7+/52/2018-19/3303 दिनांक 02/07/2018

विषय-राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के 7+ कार्यक्रम के अंतर्गत 0-5 वर्ष तक के बच्चों में दस्त एवं निमोनिया से गम्भीर रूप से ग्रसित बच्चों को चिकित्सालय में संदर्भित कराकर इलाज कराने पर आशा को प्रतिपूर्ति राशि के भुगतान के संबंध में।

महोदय/महोदया,

अवगत कराना है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की रिपोर्ट (Global Burden of Disease Estimate 2014) के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में होने वाली कुल मृत्यु में से 23 प्रतिशत मृत्यु निमोनिया व 10 प्रतिशत मृत्यु दस्त के कारण होती है। जब की इन मौतों को बड़ी आसानी से दस्त के दौरान ओ०आर०एस० एवं जिक तथा निमोनिया के दौरान समय से एन्टीबायोटिक दवाओं के उपचार द्वारा रोका जा सकता है। विश्व के समस्त देशों द्वारा वर्ष 2030 तक Sustainable Development Goals-4 (MDG) के अंतर्गत बाल मृत्यु दर को कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

इसी क्रम में प्रदेश में 0-5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में निमोनिया एवं दस्त से होने वाली मृत्यु दर को कम करने हेतु बाल्यावस्था में दस्त व निमोनिया के गंभीर लक्षणों की पहचान कर उसका सही समय पर सन्दर्भन कराकर इलाज कराने के उद्देश्य से आपके जनपदों में इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जाना है। यह कार्यक्रम माड्यूल 6 एवं 7 के 02 राउण्ड में प्रशिक्षित आशाओं द्वारा किया जाना है।

#### 1- कार्यक्रम की प्रस्तावित गतिविधियाँ-

महानिदेशक, परिवार कल्याण के स्तर से जारी पत्र संख्या-प०क०/आर० सी०एच०/निमो० डाय०/2015-16/2135-75 दिनांक 12.08.2015 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, उक्त पत्र के माध्यम से IAPPD (Integrated Approaches for Prevention and Management on Pneumonia and Diarrhoea) कार्यक्रम के अन्तर्गत डायरिया एवं निमोनिया के प्रबन्धन हेतु विस्तृत दिशा निर्देश प्रेषित किये गये थे। उक्त के क्रम में आशा द्वारा निम्न गतिविधियाँ सम्पादित की जाएगी।

1. माड्यूल 6 एवं 7 के द्वितीय चरण में प्रशिक्षित आशाओं द्वारा दस्त एवं निमोनिया के गम्भीर रूप से ग्रसित बच्चों का पहचान, आंकलन तथा वर्गीकरण के साथ-साथ सही प्रबंधन।
2. यदि बच्चे की स्थिति गम्भीर हो रही है उस दशा में आशा निम्न लक्षणों के आधार पर स्थिति का आंकलन करें। चिन्हित अति गम्भीर बच्चों को सम्बन्धित चिकित्सा इकाईयों में संदर्भित कर उपचार सुनिश्चित करायें।

#### 2- दस्त (गंभीर निर्जलीकरण) के लक्षण -

- सुस्ती एवं बेहोशी।
- धँसी हुई आँखें।
- तरल पदार्थ पी न पाना या कम पी पाना।
- पेट की त्वचा खींचने पर त्वचा धीरे-धीरे पूर्व की स्थिति में वापस आना (2 सेकंड से अधिक समय में)

उपरोक्त में से दो या दो से अधिक लक्षण मिलने पर बच्चे को गम्भीर निर्जलीकरण है। आशा बच्चे का तुरंत संदर्भन निकट के स्वास्थ्य इकाई पर करें।

इकाई पर ले जाते समय रास्ते में थोड़ी-थोड़ी मात्रा में ओ०आर०एस० घोल पिलाते रहें एवं स्तनपान भी जारी रखे (अगर बच्चा पी पा रहा हो)।

- दीर्घ स्थाई दस्त-14 दिन से अधिक समय से दस्त आना।
- पेचिश-मल में खून आना।
- उपरोक्त स्थिति में भी आशा बच्चे का तुरंत संदर्भन करे।
- निमोनिया के लक्षण (2 माह से 5 वर्ष)।
- साँसे तेज चलना।

### 3- गम्भीर निमोनिया लक्षण (2 माह से 5 वर्ष) -

- पसली चलना।
- सांस लेने में गड़गड़ाहट की आवाज आना।
- सुस्ती बेहोशी।
- झटके आना।
- स्तनपान न कर पाना।
- बार-बार उल्टी करना।

उपरोक्त में से कोई भी निमोनिया या गंभीर निमोनिया के लक्षण हो सकते हैं। ऐसे बच्चों को तुरंत संदर्भन कर इलाज करायें।

### 4- गंभीर बीमारी के लक्षण (दो माह से छोटे बच्चों के लिये -

- साँसे तेज चलना।
- पसली चलना।
- सुस्ती बेहोशी।
- झटके आना।
- स्तनपान न कर पाना।
- गरम या ठंडा बुखार।

उपरोक्त में से कोई भी लक्षण गम्भीर निमोनिया या गंभीर बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। बच्चे का तुरंत संदर्भन कर इलाज करायें।

### 5- आशा द्वारा बच्चे के सांस की गिनती निम्नानुसार करें -

- दो माह तक के बच्चे में एक मिनट में 60 या इससे अधिक साँसे चलना।
- दो माह से 01 वर्ष तक के बच्चे में एक मिनट में 50 या इससे अधिक साँसे चलना।
- 01 वर्ष से 05 वर्ष तक के बच्चे में एक मिनट में 40 या इससे अधिक साँसे चलना।

### 6- आशा को प्रतिपूर्ति राशि प्रदान करने हेतु मानक -

माड्यूल 6 एवं 7 के द्वितीय चरण में प्रशिक्षित आशाओं को गंभीर रूप से दस्त अथवा निमोनिया से ग्रसित बच्चों का सही समय पर रेफर कराकर इलाज कराने हेतु प्रति केस रु० 50/- की दर से प्रतिपूर्ति राशि प्रदान की जायेगी।

### 7- आशा को प्रतिपूर्ति राशि निम्नलिखित आधार पर प्रदान की जायेगी -

- दस्त संदर्भन-निर्जलीकरण, पेचिश या दीर्घस्थायी दस्त के बच्चों का चिन्हिकरण कर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर संदर्भन करके इलाज कराने पर ही प्रतिपूर्ति राशि प्रदान की जायेगी। आशा निर्जलीकरण, पेचिश या दीर्घस्थायी दस्त के बच्चों की जांच ऊपर दिये गये लक्षणों के आधार पर करेगी।
- निमोनिया संदर्भन-बीमार बच्चे जिनको निमोनिया, गम्भीर निमोनिया या कोई संभावित गम्भीर हों का चिन्हिकरण कर सी०एच०सी०/पी०एच०सी० पर संदर्भन कर इलाज कराके ही प्रतिपूर्ति राशि

प्रदान की जायेगी। आशा निमोनिया, गम्भीर निमोनिया एवं संभावित गम्भीर के बच्चों की जांच ऊपर दिये गये लक्षणों के आधार पर करेगी।

- बीमार बच्चों के संदर्भन हेतु समस्त आशाओं को ट्रिपलेट (तीन पृष्ठ) रेफरल स्लिप दिया जायेगा। तीन स्लिप में से प्रथम स्लिप का उपयोग आशा बच्चों का संदर्भन करने के लिए करेगी। द्वितीय स्लिप का उपयोग प्रतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के लिए करेगी एवं तृतीय स्लिप अपने पास रखेगी (रेफरल स्लिप उ0प्र0 तकनीकी सहयोग इकाई (UP-TSU) द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।
- आशा दस्त से ग्रसित सभी बच्चों का इलाज कर अपनी डायरी में अंकित करेगी मगर रेफर केवल निर्जलीकरण, पेचिश या लम्बी अवधि के दौरान दस्त के बच्चों का करेगी।
- आशा निमोनिया, गम्भीर निमोनिया या संभावित गम्भीर बीमारी के सभी बच्चों का संदर्भन करेगी।
- आशा को प्रतिपूर्ति राशि केवल उन्ही बच्चों का दिया जायेगा जो सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 पर रेफरल स्लिप के साथ पहुँचेंगे और जिनको चिकित्सा अधिकारी दस्त (निर्जलीकरण के साथ), पेचिश या लम्बी अवधि के दस्त अथवा निमोनिया, गम्भीर निमोनिया या संभावित गम्भीर बीमारी प्रमाणित कर देगा।
- आशा देखभालकर्ता को रेफरल स्लिप सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 पहुँचने के बाद इलाज करने वाले चिकित्सक को देने को कहेगी। चिकित्सक रेफरल स्लिप पर बीमारी का विवरण (निर्जलीकरण के साथ दस्त, पेचिश, लम्बी अवधि के दस्त अथवा निमोनिया, गम्भीर निमोनिया या संभावित गम्भीर बीमारी) लिखकर बी0सी0पी0एम0 को उपलब्ध करायी जायेगी।
- आशा द्वारा संदर्भित किये गये बच्चों का प्रतिपूर्ति राशि प्राप्त करने हेतु रेफरल स्लिप की प्रति वाउचर के साथ ए0एन0एम0 के पास जमा करेगी।
- डी0सी0पी0एम0/बी0सी0पी0एम0 सप्ताह में एक बार रेफरल स्लिप ओ0पी0डी0 से एकत्रित करके आशा द्वारा प्रतिपूर्ति राशि हेतु जमा किये गये वाउचर का सत्यापन करके भुगतान हेतु कार्यवाही की जायेगी। उपचार करने वाले चिकित्सकों रेफरल स्लिप प्रत्येक सप्ताह में उपलब्ध करायेगें।

#### 8- वित्त पोषण-

भारत सरकार द्वारा अनुमोदन के क्रम में 7+ कार्यक्रम के अन्तर्गत दस्त एवं निमोनिया के गम्भीर रूप से बीमार बच्चों का संदर्भन कर चिकित्सालय में इलाज सुनिश्चित हेतु आशा माड्यूल 6 एवं 7 के द्वितीय चरण में प्रशिक्षित आशाओं को **FMR Code- B18.4 (2)** पर रू0 50.00 प्रति बच्चे के अनुसार 06 माह हेतु प्रतिपूर्ति राशि प्रदान करने हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

| 7+ Activity                                                                                 |                 |             |                                                  |                          |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| Incentive of ASHA for promote referral of severe cases of Pneumonia & Diarrhoea through NAS |                 |             |                                                  |                          |              |
| S.N.                                                                                        | District        | No. of ASHA | assuming a maximum 5 cases per ASHA for 6 months | Rs.50 per cases per ASHA | Total Amount |
| 1                                                                                           | Sidharth Nagar  | 2982        | 14910                                            | 745500                   | 745500       |
| 2                                                                                           | Gonda           | 1608        | 8040                                             | 402000                   | 402000       |
| 3                                                                                           | Balrampur       | 2533        | 12665                                            | 633250                   | 633250       |
| 4                                                                                           | Srawasti        | 3351        | 16755                                            | 837750                   | 837750       |
| 5                                                                                           | Bahraich        | 1114        | 5570                                             | 278500                   | 278500       |
| 6                                                                                           | Sitapur         | 2002        | 10010                                            | 500500                   | 500500       |
| 7                                                                                           | Lakhimpur Kheri | 3096        | 15480                                            | 774000                   | 774000       |
| Total                                                                                       |                 | 16686       | 83430                                            | 4171500                  | 4171500      |

#### फील्ड स्तरीय सहयोग-

- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, समस्त चिकित्सा अधीक्षकों/प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों की मासिक बैठक में दस्त एवं निमोनिया के प्रतिपूर्ति राशि के सम्बन्ध में जानकारी अवश्य दें तथा रेफरल की समीक्षा करें।

- समस्त चिकित्सा अधीक्षकों/प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से नियमित मासिक समीक्षा बैठक के दौरान आशाओं की समस्या का समाधान एवं रेफरल सहयोग हेतु पर चर्चा की जायें।
- आशाओं की क्लस्टर बैठक में दस्त एवं निमोनिया के गंभीर लक्षणों के बारे में तथा प्रतिपूर्ति राशि के संबंध में आशाओं को मासिक बैठक के दौरान जानकारी अवश्य दें। जिससे आशाएँ इस पर काम करके प्रतिपूर्ति राशि प्राप्त कर सकें।
- ब्लाक कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर अन्य सहयोगी संस्थाएँ एवं जिला स्तरीय अधिकारी क्षेत्र भ्रमण के दौरान दो से तीन घरों में जायें जहाँ से बच्चे रेफर किए गए थे एवं आशाओं का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण कर मनोबल बढ़ाये।

#### नोट –

1. धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाये।
2. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के वित्तीय अभिलेख कैश बुक लेजर चैक इश्यू रजिस्टर, स्थायी सम्पत्तियों का रजिस्टर आदि लेखा पुस्तकों में सभी प्रविष्टियों समय से पूर्ण कराये साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी द्वारा कराना सुनिश्चित करें।
3. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित कराये जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाईयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहे।
4. आपके स्तर से समस्त इकाईयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुये अपनी लेखा पुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।
5. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण एफ0एम0आर0 के अनुसार लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखा पुस्तकों में प्रविष्ट की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।
6. व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियों, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं मासिक कान्करेन्ट ऑडिटर, स्टेटचूरी ऑडिटर, महालेखाकार की ऑडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
7. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित आपरेशनल गाईड लाईन्स फार फाईनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रक्रिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।
8. किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिये नोडल अधिकारी एवं सम्बन्धित लिपिक/द्वितीय संयुक्त हस्ताक्षरी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। मुख्य चिकित्साधिकारी का दायित्व होगा कि स्वयं भी आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं के माध्यम से वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित कराये।
9. प्रत्येक माह कार्यक्रम से मदवार व्यय विवरण प्राप्त किया जाये जिसे जिला लेखा प्रबन्धक के माध्यम से वित्त अनुभाग एस0पी0एम0यू0 तथा कार्यक्रम अधिकारी को ससमय प्रेषित किया जाये।
10. जिन बिन्दुओं पर सी0ए0जी0 ने आपत्ति की है उनकी पुनरावृत्ति न की जाय, इसको शासन स्तर पर गंभीरता से लिया जायेगा। सी0ए0जी0 की रिपोर्ट वेबसाईट पर उपलब्ध है।
11. इस कार्यालय के पत्र संख्या-एस0पी0एम0यू0/एन0आर0एच0एम0/2012-13/लेखा/पी0एफ0एम0एस0/187/96-2, दिनांक 08/04/2015 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि समस्त भुगतान पब्लिक फाईनेन्शियल मैनेजमेन्ट सिस्टम (PFMS) वेब पोर्टल से तैयार ई-पेमेन्ट प्रिन्ट एडवाइज के माध्यम से ही भुगतान किया जायेगा।

## 9- अनुश्रवण एवं मूल्यांकन -

कार्यक्रम का गहन अनुश्रवण राज्य, जनपद स्तर से, तथा चिन्हित सहयोगी संस्थाओं के अधिकारियों द्वारा किया जायेगा। जनपद स्तर पर यह कार्य नोडल अधिकारी आर0सी0एच0 द्वारा किया जायेगा। आशाओं को भुगतान में पूर्ण सतर्कता एवं सावधानी रखी जानी होगी। यदि किसी अधीक्षक/प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसी आशा का भुगतान किया गया है जिसमें अपने संबन्धित क्षेत्र के लाभार्थी के लिए प्रारूप नहीं भरा है तो ऐसी स्थिति में मुख्य चिकित्सा अधिकारी व नोडल अधिकारी उत्तरदायी होंगे। आशाओं को प्रतिपूर्ति राशि रेफरल स्लिप की प्रति वाउचर के साथ जमा करने एवं ब्लाक कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर द्वारा सत्यापन के बाद ही भुगतान किया जाये।

आपको निर्देशित किया जाता है कि वर्ष 2018-19 में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय जनपद स्तर पर उपलब्ध Uncommitted/unspent धनराशि से किया जाये एवं जिला कार्ययोजना (डैप) के सापेक्ष व्यय विवरण प्रत्येक माह वित्त अनुभाग, एस0पी0एम0यू0 को उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित कर कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

अन्य किसी जानकारी के लिये संयुक्त निदेशक, आर0सी0एच0, परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश के मो0न0 9415085790 एवं महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के मो0न0 08005192604 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

### संलग्नक-उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(पंकज कुमार)  
मिशन निदेशक

पत्र संख्या-एस0पी0एम0यू0/CH/Q+ & 7+/52/2018-19/

दिनांक /07/2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
2. अधिशासी निदेशक, उ0प्र0 तकनीकी सहयोग इकाई (UP-TSU) लखनऊ उ0प्र0।
3. सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लखनऊ, उ0प्र0।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
5. संयुक्त निदेशक, आर0सी0एच0 परिवार कल्याण महानिदेशालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
6. महाप्रबन्धक, कम्युनिटी प्रोसेस राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
7. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला पुरुष/संयुक्त चिकित्सालय/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को इस आशय साथ कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी से समन्वय कर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
8. सम्बन्धित मण्डलीय एवं जनपदीय, कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0।
9. ऑफीसर इन्चार्ज हेल्थ, यूनिसेफ, बी-3/258, विशाल खन्ड, गोमती नगर, लखनऊ, उ0प्र0।
10. राज्य कार्यक्रम प्रबन्धक, न्यूट्रीशन इंटरनेशनल (एन0आई0), सेव दा चिल्ड्रेन, लखनऊ, उ0प्र0।

(डा0 अनिल कुमार वर्मा)  
महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य

प्रेषक,

मिशन निदेशक,  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0,  
विशाल कॉम्प्लैक्स,  
19-ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,  
जनपद-सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बहराईच, बलरामपुर, श्रावस्ती गोण्डा एवं सिद्धार्थ नगर।

पत्र संख्या-एस0पी0एम0यू0/CH/Q+ & 7+/52/2018-19/

दिनांक 02/07/2018

विषय-राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के 7+ कार्यक्रम के अंतर्गत 0-5 वर्ष तक के बच्चों में दस्त एवं निमोनिया से गम्भीर रूप से ग्रसित बच्चों को चिकित्सालय में संदर्भित कराकर इलाज कराने पर आशा को प्रतिपूर्ति राशि के भुगतान के संबंध में।

महोदय/महोदया,

अवगत कराना है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की रिपोर्ट (Global Burden of Disease Estimate 2014) के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में होने वाली कुल मृत्यु में से 23 प्रतिशत मृत्यु निमोनिया व 10 प्रतिशत मृत्यु दस्त के कारण होती है। जब की इन मौतों को बड़ी आसानी से दस्त के दौरान ओ0आर0एस0 एवं जिक तथा निमोनिया के दौरान समय से एन्टीबायोटिक दवाओं के उपचार द्वारा रोका जा सकता है। विश्व के समस्त देशों द्वारा वर्ष 2030 तक Sustainable Development Goals-4 (MDG) के अंतर्गत बाल मृत्यु दर को कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

इसी क्रम में प्रदेश में 0-5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में निमोनिया एवं दस्त से होने वाली मृत्यु दर को कम करने हेतु बाल्यावस्था में दस्त व निमोनिया के गंभीर लक्षणों की पहचान कर उसका सही समय पर सन्दर्भन कराकर इलाज कराने के उद्देश्य से आपके जनपदों में इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जाना है। यह कार्यक्रम माड्यूल 6 एवं 7 के 02 राउण्ड में प्रशिक्षित आशाओं द्वारा किया जाना है।

#### 1- कार्यक्रम की प्रस्तावित गतिविधियाँ-

महानिदेशक, परिवार कल्याण के स्तर से जारी पत्र संख्या-प0क0/आर0 सी0एच0/निमो0 डाय0/2015-16/2135-75 दिनांक 12.08.2015 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, उक्त पत्र के माध्यम से IAPPD (Integrated Approaches for Prevention and Management on Pneumonia and Diarrhoea) कार्यक्रम के अन्तर्गत डायरिया एवं निमोनिया के प्रबन्धन हेतु विस्तृत दिशा निर्देश प्रेषित किये गये थे। उक्त के क्रम में आशा द्वारा निम्न गतिविधियाँ सम्पादित की जाएगी।

1. माड्यूल 6 एवं 7 के द्वितीय चरण में प्रशिक्षित आशाओं द्वारा दस्त एवं निमोनिया के गम्भीर रूप से ग्रसित बच्चों का पहचान, आंकलन तथा वर्गीकरण के साथ-साथ सही प्रबंधन।
2. यदि बच्चे की स्थिति गम्भीर हो रही है उस दशा में आशा निम्न लक्षणों के आधार पर स्थिति का आंकलन करें। चिन्हित अति गम्भीर बच्चों को सम्बन्धित चिकित्सा इकाईयों में संदर्भित कर उपचार सुनिश्चित करायें।

#### 2- दस्त (गंभीर निर्जलीकरण) के लक्षण -

- सुस्ती एवं बेहोशी।
- धँसी हुई आँखें।
- तरल पदार्थ पी न पाना या कम पी पाना।
- पेट की त्वचा खींचने पर त्वचा धीरे-धीरे पूर्व की स्थिति में वापस आना (2 सेकंड से अधिक समय में)

उपरोक्त में से दो या दो से अधिक लक्षण मिलने पर बच्चे को गम्भीर निर्जलीकरण है। आशा बच्चे का तुरंत संदर्भन निकट के स्वास्थ्य इकाई पर करें।

इकाई पर ले जाते समय रास्ते में थोड़ी-थोड़ी मात्रा में ओ०आर०एस० घोल पिलाते रहें एवं स्तनपान भी जारी रखें (अगर बच्चा पी पा रहा हो)।

- दीर्घ स्थाई दस्त-14 दिन से अधिक समय से दस्त आना।
- पेचिश-मल में खून आना।
- उपरोक्त स्थिति में भी आशा बच्चे का तुरंत संदर्भन करे।
- निमोनिया के लक्षण (2 माह से 5 वर्ष)।
- साँसे तेज चलना।

### 3- गम्भीर निमोनिया लक्षण (2 माह से 5 वर्ष) -

- पसली चलना।
- सांस लेने में गड़गड़ाहट की आवाज आना।
- सुस्ती बेहोशी।
- झटके आना।
- स्तनपान न कर पाना।
- बार-बार उल्टी करना।

उपरोक्त में से कोई भी निमोनिया या गंभीर निमोनिया के लक्षण हो सकते हैं। ऐसे बच्चों को तुरंत संदर्भन कर इलाज करायें।

### 4- गंभीर बीमारी के लक्षण (दो माह से छोटे बच्चों के लिये) -

- साँसे तेज चलना।
- पसली चलना।
- सुस्ती बेहोशी।
- झटके आना।
- स्तनपान न कर पाना।
- गरम या ठंडा बुखार।

उपरोक्त में से कोई भी लक्षण गम्भीर निमोनिया या गंभीर बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। बच्चे का तुरंत संदर्भन कर इलाज करायें।

### 5- आशा द्वारा बच्चे के सांस की गिनती निम्नानुसार करें -

- दो माह तक के बच्चे में एक मिनट में 60 या इससे अधिक साँसे चलना।
- दो माह से 01 वर्ष तक के बच्चे में एक मिनट में 50 या इससे अधिक साँसे चलना।
- 01 वर्ष से 05 वर्ष तक के बच्चे में एक मिनट में 40 या इससे अधिक साँसे चलना।

### 6- आशा को प्रतिपूर्ति राशि प्रदान करने हेतु मानक -

माड्यूल 6 एवं 7 के द्वितीय चरण में प्रशिक्षित आशाओं को गंभीर रूप से दस्त अथवा निमोनिया से ग्रसित बच्चों का सही समय पर रेफर कराकर इलाज कराने हेतु प्रति केस रू० 50/- की दर से प्रतिपूर्ति राशि प्रदान की जायेगी।

### 7- आशा को प्रतिपूर्ति राशि निम्नलिखित आधार पर प्रदान की जायेगी -

- दस्त संदर्भन-निर्जलीकरण, पेचिश या दीर्घस्थायी दस्त के बच्चों का चिन्हिकरण कर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर संदर्भन करके इलाज कराने पर ही प्रतिपूर्ति राशि प्रदान की जायेगी। आशा निर्जलीकरण, पेचिश या दीर्घस्थायी दस्त के बच्चों की जाँच ऊपर दिये गये लक्षणों के आधार पर करेगी।
- निमोनिया संदर्भन-बीमार बच्चे जिनको निमोनिया, गम्भीर निमोनिया या कोई संभावित गम्भीर हों का चिन्हिकरण कर सी०एच०सी०/पी०एच०सी० पर संदर्भन कर इलाज कराके ही प्रतिपूर्ति राशि

प्रदान की जायेगी। आशा निमोनिया, गम्भीर निमोनिया एवं संभावित गम्भीर के बच्चों की जांच ऊपर दिये गये लक्षणों के आधार पर करेगी।

- बीमार बच्चों के संदर्भन हेतु समस्त आशाओं को ट्रिपलेट (तीन पृष्ठ) रेफरल स्लिप दिया जायेगा। तीन स्लिप में से प्रथम स्लिप का उपयोग आशा बच्चों का संदर्भन करने के लिए करेगी। द्वितीय स्लिप का उपयोग प्रतिपूर्ति राशि प्रप्ति करने के लिए करेगी एवं तृतीय स्लिप अपने पास रखेगी (रेफरल स्लिप उ0प्र0 तकनीकी सहयोग इकाई (UP-TSU) द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।
- आशा दस्त से गृसित सभी बच्चों का इलाज कर अपनी डायरी में अंकित करेगी मगर रेफर केवल निर्जलीकरण, पेचिश या लम्बी अवधि के दौराना दस्त के बच्चों का करेगी।
- आशा निमोनिया, गम्भीर निमोनिया या संभावित गम्भीर बीमारी के सभी बच्चों का संदर्भन करेगी।
- आशा को प्रतिपूर्ति राशि केवल उन्ही बच्चों का दिया जायेगा जो सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 पर रेफरल स्लिप के साथ पहुँचेंगे और जिनको चिकित्सा अधिकारी दस्त (निर्जलीकरण के साथ), पेचिश या लम्बी अवधि के दस्त अथवा निमोनिया, गम्भीर निमोनिया या संभावित गम्भीर बीमारी प्रमाणित कर देगा।
- आशा देखभालकर्ता को रेफरल स्लिप सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 पहुँचने के बाद इलाज करने वाले चिकित्सक को देने को कहेगी। चिकित्सक रेफरल स्लिप पर बीमारी का विवरण (निर्जलीकरण के साथ दस्त, पेचिश, लम्बी अवधि के दस्त अथवा निमोनिया, गम्भीर निमोनिया या संभावित गम्भीर बीमारी) लिखकर बी0सी0पी0एम0 को उपलब्ध करायी जायेगी।
- आशा द्वारा संदर्भित किये गये बच्चों का प्रतिपूर्ति राशि प्राप्त करने हेतु रेफरल स्लिप की प्रति वाउचर के साथ ए0एन0एम0 के पास जमा करेगी।
- डी0सी0पी0एम0/बी0सी0पी0एम0 सप्ताह में एक बार रेफरल स्लिप ओ0पी0डी0 से एकत्रित करके आशा द्वारा प्रतिपूर्ति राशि हेतु जमा किये गये वाउचर का सत्यापन करके भुगतान हेतु कार्यवाही की जायेगी। उपचार करने वाले चिकित्सकों रेफरल स्लिप प्रत्येक सप्ताह में उपलब्ध करायेगें।

#### 8- वित्त पोषण-

भारत सरकार द्वारा अनुमोदन के क्रम में 7+ कार्यक्रम के अन्तर्गत दस्त एवं निमोनिया के गम्भीर रूप से बीमार बच्चों का संदर्भन कर चिकित्सालय में इलाज सुनिश्चित हेतु आशा माड्यूल 6 एवं 7 के द्वितीय चरण में प्रशिक्षित आशाओं को **FMR Code- B18.4 (2)** पर रू0 50.00 प्रति बच्चे के अनुसार 06 माह हेतु प्रतिपूर्ति राशि प्रदान करने हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

| 7+ Activity                                                                                 |                 |              |                                                  |                          |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------|--------------------------|----------------|
| Incentive of ASHA for promote referral of severe cases of Pneumonia & Diarrhoea through NAS |                 |              |                                                  |                          |                |
| S.N.                                                                                        | District        | No. of ASHA  | assuming a maximum 5 cases per ASHA for 6 months | Rs.50 per cases per ASHA | Total Amount   |
| 1                                                                                           | Sidharth Nagar  | 2982         | 14910                                            | 745500                   | 745500         |
| 2                                                                                           | Gonda           | 1608         | 8040                                             | 402000                   | 402000         |
| 3                                                                                           | Balrampur       | 2533         | 12665                                            | 633250                   | 633250         |
| 4                                                                                           | Srawasti        | 3351         | 16755                                            | 837750                   | 837750         |
| 5                                                                                           | Bahraich        | 1114         | 5570                                             | 278500                   | 278500         |
| 6                                                                                           | Sitapur         | 2002         | 10010                                            | 500500                   | 500500         |
| 7                                                                                           | Lakhimpur Kheri | 3096         | 15480                                            | 774000                   | 774000         |
| <b>Total</b>                                                                                |                 | <b>16686</b> | <b>83430</b>                                     | <b>4171500</b>           | <b>4171500</b> |

#### फील्ड स्तरीय सहयोग-

- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, समस्त चिकित्सा अधीक्षकों/प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों की मासिक बैठक में दस्त एवं निमोनिया के प्रतिपूर्ति राशि के सम्बन्ध में जानकारी अवश्य दें तथा रेफरल की समीक्षा करें।

- समस्त चिकित्सा अधीक्षकों/प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से नियमित मासिक समीक्षा बैठक के दौरान आशाओं की समस्या का समाधान एवं रेफरल सहयोग हेतु पर चर्चा की जाये।
- आशाओं की क्लस्टर बैठक में दस्त एवं निमोनिया के गंभीर लक्षणों के बारे में तथा प्रतिपूर्ति राशि के संबंध में आशाओं को मासिक बैठक के दौरान जानकारी अवश्य दें। जिससे आशायें इस पर काम करके प्रतिपूर्ति राशि प्राप्त कर सकें।
- ब्लाक कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर अन्य सहयोगी संस्थायें एवं जिला स्तरीय अधिकारी क्षेत्र भ्रमण के दौरान दो से तीन घरों में जायें जहां से बच्चे रेफर किए गए थे एवं आशाओं का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण कर मनोबल बढ़ाये।

#### नोट -

1. धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाये।
2. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के वित्तीय अभिलेख कैश बुक लेजर चैक इश्यू रजिस्टर, स्थायी सम्पत्तियों का रजिस्टर आदि लेखापुस्तकों में सभी प्रविष्टियाँ समय से पूर्ण कराये साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी द्वारा कराना सुनिश्चित करें।
3. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित कराये जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाईयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहे।
4. आपके स्तर से समस्त इकाईयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुये अपनी लेखा पुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।
5. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण एफ0एम0आर0 के अनुसार लेखापुस्तकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्ट की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।
6. व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियों, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं मासिक कान्करेन्ट अडिटर, स्टेटच्युरी अडिटर, महालेखाकार की अडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
7. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित आपरेशनल गाईड लाइन्स फार फाईनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा निदेशों एवं प्रक्रिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।
8. किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिये नोडल अधिकारी एवं सम्बन्धित लिपिक/द्वितीय संयुक्त हस्ताक्षरी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। मुख्य चिकित्साधिकारी का दायित्व होगा कि स्वयं भी आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं के माध्यम से वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित कराये।
9. प्रत्येक माह कार्यक्रम से मदवार व्यय विवरण प्राप्त किया जाये जिसे जिला लेखा प्रबन्धक के माध्यम से वित्त अनुभाग एस0पी0एम0यू0 तथा कार्यक्रम अधिकारी को ससमय प्रेषित किया जाये।
10. जिन बिन्दुओं पर सी0ए0जी0 ने आपत्ति की है उनकी पुनरावृत्ति न की जाय, इसको शासन स्तर पर गंभीरता से लिया जायेगा। सी0ए0जी0 की रिपोर्ट वेबसाइट पर उपलब्ध है।
11. इस कार्यालय के पत्र संख्या-एस0पी0एम0यू0/एन0आर0एच0एम0/2012-13/लेखा/पी0एफ0एम0एस0/187/96-2, दिनांक 08/04/2015 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि समस्त भुगतान पब्लिक फाईनेन्शियल मैनेजमेन्ट सिस्टम (PFMS) वेब पोर्टल से तैयार ई-पेमेन्ट प्रिन्ट एडवाइज के माध्यम से ही भुगतान किया जायेगा।

## 9- अनुश्रवण एवं मूल्यांकन -

कार्यक्रम का गहन अनुश्रवण राज्य, जनपद स्तर से, तथा चिन्हित सहयोगी संस्थाओं के अधिकारियों द्वारा किया जायेगा। जनपद स्तर पर यह कार्य नोडल अधिकारी आर0सी0एच0 द्वारा किया जायेगा। आशाओं को भुगतान में पूर्ण सतर्कता एवं सावधानी रखी जानी होगी। यदि किसी अधीक्षक/प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसी आशा का भुगतान किया गया है जिसमें अपने संबन्धित क्षेत्र के लाभार्थी के लिए प्रारूप नहीं भरा है तो ऐसी स्थिति में मुख्य चिकित्सा अधिकारी व नोडल अधिकारी उत्तरदायी होंगे। आशाओं को प्रतिपूर्ति राशि रेफरल स्लिप की प्रति वाउचर के साथ जमा करने एवं ब्लाक कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर द्वारा सत्यापन के बाद ही भुगतान किया जाये।

आपको निर्देशित किया जाता है कि वर्ष 2018-19 में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय जनपद स्तर पर उपलब्ध Uncommitted/unspent धनराशि से किया जाये एवं जिला कार्ययोजना (डैप) के सापेक्ष व्यय विवरण प्रत्येक माह वित्त अनुभाग, एस0पी0एम0यू0 को उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित कर कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

अन्य किसी जानकारी के लिये संयुक्त निदेशक, आर0सी0एच0, परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश के मो0न0 9415085790 एवं महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के मो0न0 08005192604 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

### संलग्नक-उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(पंकज कुमार)  
मिशन निदेशक

पत्र संख्या-एस0पी0एम0यू0/CH/Q+ & 7+/52/2018-19/ 3303-7(10) दिनांक /07/2018  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
2. अधिशासी निदेशक, उ0प्र0 तकनीकी सहयोग इकाई (UP-TSU) लखनऊ उ0प्र0।
3. सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लखनऊ, उ0प्र0।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
5. संयुक्त निदेशक, आर0सी0एच0 परिवार कल्याण महानिदेशालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
6. महाप्रबन्धक, कम्युनिटी प्रोसेस राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
7. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला पुरुष/संयुक्त चिकित्सालय/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को इस आशय साथ कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी से समन्वय कर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
8. सम्बन्धित मण्डलीय एवं जनपदीय, कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0।
9. ऑफिसर इन्चार्ज हेल्थ, यूनिसेफ, बी-3/258, विशाल खन्ड, गोमती नगर, लखनऊ, उ0प्र0।
10. राज्य कार्यक्रम प्रबन्धक, न्यूट्रीशन इंटरनेशनल (एन0आई0), सेव दा चिल्ड्रेन, लखनऊ, उ0प्र0।

(डा0 अनिल कुमार वर्मा)  
महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य